

NOTICE

(As per paragraph 37(b)–(d), read with paragraph 39, of the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in **Rahul S. Shah v. Jinendra Kumar Gandhi & Ors.**, (2021) 6 SCC 418)

IN THE COURT OF SH. LALIT KAUMAR CJ-02/WEST/TIS HAZARI COURTS, DELHI

Civil Suit No.: 1885/2022

CNR No.: DLWT03-003450-2022

SARABJEET KAUR ... Plaintiff(s)

Versus

RAJ KUMAR PARASHAR ... Defendant(s)

**PUBLIC NOTICE INVITING CLAIMS/OBJECTIONS CONCERNING
IMMOVABLE PROPERTY**

To all persons in possession of, claiming possession of, or claiming any right, title or interest in the property described below:

Notice is hereby given that the above-mentioned suit is pending before this Court, wherein the plaintiff(s) seek possession of **PROPERTY NO.- T-16, FIRST FLOOR, VISHNU GARDEN, KHAYALA, NEW DELHI-110018** along with arrears of damages/mense profits at the rate of Rs. 13,000/- (Rupees thirteen throusand only) per month with interest @ 15% per annum.

Pursuant to the order dated **15.09.2026** passed by this Court, any person who is in possession of, claims possession of, or claims any right, title or interest in the above property or any part thereof is hereby called upon to submit their claim or objection before this Court on or before 01.10.2026 and appear, personally or through an advocate, on 01.10.2026 at 10.00 A.M in Court Room No. 361, TIS HAZARI COURTS, DELHI.

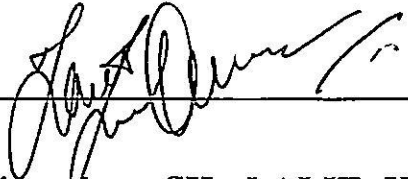
The claim/objection shall mention the above suit number and contain the claimant's name and address, the precise nature and basis of the claim, particulars of the portion concerned and details of possession, if claimed. Copies of documents relied upon shall accompany the claim/objection.

TAKE NOTICE that any person having such a claim or objection must raise it at this stage. Failure to do so shall attract the consequence stated in paragraph 37(b) of the Supreme Court's judgment in *Rahul S. Shah v. Jinendra Kumar Gandhi & Ors.*, decided on 22 April 2021, that objections concerning such claims shall not be permitted subsequently. Any objection raised at the execution stage shall be considered in accordance with the said judgment and applicable law.



This notice is issued to invite claims for consideration by the Court and does not constitute a determination of any person's rights.

Issued under the hand and seal of this Court on 25.09.2026.

Signature: 

Name and designation: SH. LALIT KUMAR CJ-02/WEST/TIS HAZARI
COURTS, DELHI



For affixation at the suit property and publication on the official website of the Court, pursuant to the order dated 15.09.2026.

श्री ललित कुमार
Sh. Lalit Kumar

सिविल जज-02 (वेस्ट)
Civil Judge-02 (West)

कमरा नं. 361, सीस हजारी कोर्ट, दिल्ली
Room No. 361, Sis Hajarai Court, Delhi

सूचना

(माननीय सुप्रीम कोर्ट के राहुल एस. शाह बनाम जिनेन्द्र कुमार गांधी और अन्य, (2021) 6 SCC 418 मामले में दिए गए फैसले के पैराग्राफ 37(b)-(d) और पैराग्राफ 39 के अनुसार)

श्री ललित कुमार CJ-02/वेस्ट/तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली की अदालत में

सिविल मुकदमा नंबर: 1885/2022

CNR नंबर: DLWT03-003450-2022

सरबजीत कौर ... वादी

बनाम

राज कुमार पाराशर ... प्रतिवादी

अचल संपत्ति से जुड़े दावों/आपत्तियों के लिए सार्वजनिक सूचना

उन सभी लोगों के लिए जिनके पास नीचे बताई गई संपत्ति का कब्जा है, जो कब्जे का दावा करते हैं, या जो इस संपत्ति में किसी भी अधिकार, मालिकाना हक या हित का दावा करते हैं:

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि ऊपर बताया गया मुकदमा इस अदालत में चल रहा है, जिसमें वादी संपत्ति नंबर- T-16, पहली मंज़िल, विष्णु गार्डन, ख्याला, नई दिल्ली-110018 का कब्जा मांग रहे हैं।

साथ ही, 13,000/- रुपये (तेरह हजार रुपये मात्र) प्रति माह की दर से नुकसान/मेन्स प्रॉफिट (संपत्ति के अनधिकृत उपयोग से होने वाली आय) की बकाया राशि और 15% सालाना की दर से ब्याज भी मांगा जा रहा है।

इस अदालत द्वारा 15.09.2026 को पारित आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऊपर बताई गई संपत्ति या उसके किसी हिस्से का कब्जा है, जो कब्जे का दावा करता है, या जो उसमें किसी भी अधिकार, मालिकाना हक या हित का दावा करता है, उसे अपना दावा या आपत्ति इस अदालत के समक्ष 01.10.2026 को या उससे पहले जमा करने के लिए कहा जाता है। साथ ही, उन्हें 01.10.2026 को सुबह 10:00 बजे कोर्ट रूम नंबर 361, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए कहा जाता है। दावे/आपत्ति में ऊपर दिए गए मुकदमे का नंबर और दावा करने वाले का नाम और पता, दावे की सही प्रकृति और आधार, संबंधित हिस्से की जानकारी और कब्जे का विवरण (यदि दावा किया गया हो) शामिल होना चाहिए। जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनकी कॉपी दावे/आपत्ति के साथ लगानी होगी।

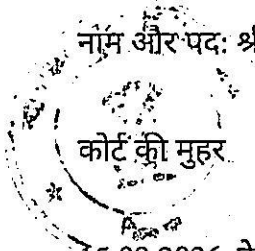
ध्यान दें कि जिस किसी व्यक्ति का ऐसा कोई दावा या आपत्ति है, उसे इसी चरण में इसे उठाना होगा। ऐसा न करने पर राहुल एस. शाह बनाम जिनेन्द्र कुमार गांधी और अन्य (फैसला 22 अप्रैल 2021) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 37(b) में बताए गए परिणाम लागू होंगे, जिसके अनुसार ऐसे दावों से जुड़ी आपत्तियों को बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमल (execution) के चरण में उठाई गई किसी भी आपत्ति पर उक्त फैसले और लागू कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

यह नोटिस कोर्ट द्वारा विचार के लिए दावे आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया है और यह किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं करता है।

यह नोटिस 25.09.2026 को इस कोर्ट के हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया है।

हस्ताक्षर: _____

नाम और पद: श्री ललित कुमार CJ-02/वेस्ट/तीस हज़ारी कोर्ट्स, दिल्ली



15.09.2026 के आदेश के अनुसार, मुकदमे की संपत्ति पर लगाने और कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।